न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः– 106 / 2022 दर्ज दिनांक 23.12.2022

जी सी एम एस न0 2022 / 1064 निर्णय दिनांक 14.02.2023

1. सरिता पत्नी स्व. हरिशंकर जाति माली निवासी बाण्डियानला तन गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज्य राजस्थान।

2. अमन पुत्र स्व. हरिशंकर उम्र 10 साल 3. अंशु पुत्र स्व. हरिशंकर उम्र 8 साल 4. निशा पुत्री स्व. हरिशंकर उम्र 6 साल	नाबालिक जरिये संरक्षक माता सरिता पत्नी स्व. हरिशंकर जाति माली निवासीगण बाण्डियानला तन गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थीगण....

बनाम

भूमिधारक जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज्य राजस्थान।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक 14.02.2023**

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम छापोली के वर्तमान भूमि खसरां न. 5867 / 1595 रकबा 0.1900 है0 अविस्थत है। गंगाशंकर पुत्र मूलचन्द व हरिशंकर पुत्र मूलचन्द ने भूमि खसरा न. 5867 / 1595 रकबा 0.1900 है0 भूमि क्रयशुदा है, जिसका नामान्तकरण तस्दीक होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2051–2054 में तत्कालीन खातेदार बजरंग पुत्र भोला जाति ब्राह्मण सा0देह खातेदार से क्रय की थी, जिसका नामान्तकरण संख्या 260 दिरनांक 13.09.1994 को दर्ज किया गया था, जिसका अंकन जमाबन्दी संवत 2051–54 में दर्ज है। उपुर्यक्त वर्णित भूमि में खातेदार गंगाशंकर, हरिशंकर पुत्रगण मूलचन्द विक्रय पत्र के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था परन्तु राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करते समय गंगाशंकर पुत्र मूलचन्द को दो हिस्सो में विभकत कर दिया कि गंगा पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1 / 3 व सागर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1 / 3 गलत दर्ज कर दिया गया है, जबकि गंगा व सागर [illegible] है। राजस्व रिकॉर्ड में गंगा पुत्र मूलचन्द व सागर पुत्र मूलचन्द की बजाय गंगाशंकर [illegible] मूलचन्द हिस्सा 1 / 2 व हरिशंकर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1 / 2 दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम छापोली के वर्तमान भूमि खसरा न. 5867 / 1595 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:33 IST
Reason: SelfAttested

1900 है0 का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करते हुए हरिशंकर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/3 व सागर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/3 व गंगा पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/3 के बजाय हरिशंकर पुत्र श्री मूलचन्द हिस्सा 1/2 व गंगाशंकर पुत्र श्री मूलचन्द हिस्सा 1/2 दुरूस्त कर शुद्ध करने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई।

तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 23.01.2023 प्राप्त ।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खातेदार गंगाशंकर, हरिशंकर पुत्रगण मूलचन्द विक्रय पत्र के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था परन्तु राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करते समय गंगाशंकर पुत्र मूलचन्द को दो हिस्सो में विभक्त कर दिया गंगा पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/3 व सागर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/3 गलत दर्ज हो गया। अतः राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करते हुए हरिशंकर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/3, सागर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/3 व गंगा पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/3 के बजाय हरिशंकर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 व गंगाशंकर पुत्र श्री मूलचन्द हिस्सा 1/2 हिस्सा दुरूस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट दिनांक 23.01.2023 में उल्लेखित किया कि खसरा न0 5867/1595 रकबा 0.19 है0 को खातेदार बजरंग पुत्र भोला से जरिये विक्रय पत्र गंगाशंकर, हरिशंकर पुत्र मूलचन्द ने क्रय की थी जिसका नामान्तकरण संख्या 260 दिनांक 13.09.1994 को भरा गया। लेकिन जमाबन्दी सम्वत 2075 से 78 में उक्त खसरा न0 के खातेदार गंगा पुत्र मूलचन्द हि0 1/3, सागर पुत्र मुलचन्द हि0 1/3 व हरिशंकर पुत्र मूलचन्द हि0 1/3 सहवन से दर्ज हो गया। उक्त खसरा न0 की खातेदारी गंगाशंकर पि0 मूलचन्द हिस्सा 1/2 व हरिशंकर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 जाति माली दर्ज किया जाना प्रस्तावित है। तहसीलदार रिपोर्ट व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:33 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है कि ग्राम छापोली के वर्तमान भूमि खसरा न. 5867/1595 रकबा 0.1900 है0 का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करते हुए हरिशंकर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/3, सागर पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/3 व गंगा पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/3 के बजाय हरिशंकर पुत्र श्री मूलचन्द हिस्सा 1/2 व गंगाशंकर पुत्र श्री मूलचन्द हिस्सा 1/2 शुद्ध/ दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राजात बदस्तुर रहेंगे।

14/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:33 IST
Reason: SelfAttested